प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- जनपद कुशीनगर में जिला कारागार का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9530/नम-2/138/नवीन जि0का0, जौनपुर/2026, दिनांक 17-03-2026 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार के निर्माण कार्य की मूल लागत रू0 22831.52 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 7991.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-08/2024/001-1054-22-4-2023-364237, दिनांक-06.02.2024 एवं शासनादेश संख्या-23/2025-342- 22-4-2025-364237, दिनांक 24 मार्च, 2025 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 7991.00 लाख प्रदान की गयी है।

3- इस में सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु तृतीय किश्त की धनराशि टेण्डर कास्ट के आधार पर रू0 25.83 करोड़ (रू० पच्चीस करोड़ तिरासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-08/2024/001-1054-22-4-2023-364237, दिनांक-06.02.2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य / मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2026 तक कर लिया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 25,83,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ तिरासी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2026-321-22-4-2026-364237, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(5) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(6) अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक कुशीनगर।
(7)निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2
(11) गाई फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।